

MR. SPEAKER: Now, Calling Attention. Shri Harish Rawat.

(Interruptions)

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): I am on a point of order. I gave a Calling Attention notice.

MR. SPEAKER: What is it about?

SHRI MUKUNDA MANDAL: I gave notice of a Calling Attention. (Interruptions).

MR. SPEAKER: You come to me. It is not to be discussed here.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER: No discussion Not allowed. Come to me. No, no. Not allowed. Yes. Mr. Harish Rawat.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER: I will see to it. No question. Why should we do it?

(Interruptions)

MR. SPEAKER: You can come out and find out. If anybody is at fault, I will haul him up. You come to me. Yes, Mr. Harish Rawat.

12.12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE SITUATION ARISING OUT OF REPORTED MAL-DISTRIBUTION OF CEMENT IN VARIOUS STATES

SHRI HARISH RAWAT (Almora): I call the attention of the Minister of Industry, Steel and Mines to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"The situation arising out of the reported mal-distribution of cement in various States in violation of the

guidelines issued by the Central Government and the action taken by Government in the matter."

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): As the Hon'ble Members are aware, under the procedure for allocation of cement to the States/Union Territories as it obtained before 28-2-1982, bulk allocations of cement were placed at their disposal every quarter by the Central Government. Of these bulk allocations, with effect from Quarter I/1979, certain quantities were pre-reserved for priority sectors of irrigation and power on the basis of assessments made by the Central Water Commission/Central Electricity Authority and the Ministry of Irrigation. Further, ten per cent of such allocations was reserved for small scale industries with effect from Quarter III/1981. The remaining quantity was available to the State/Union Territory Governments for sub-allocation to any categories in their full discretion. The Central Government's responsibility in the matter extended only upto the stage of making bulk allocations. From the quantum of cement pre-reserved, no diversions to non-priority sectors were permitted without prior approval of the Central Government. In regard to distribution of cement by the State/Union Territories Governments to the sectors falling within their jurisdiction, as the inter-sectoral priorities would differ from States to States, it was considered necessary to leave the matter to the best judgement of State/Union Territory Governments. The responsibility of following the procedures and guidelines, if any, laid down by the State/Union Territory Governments in this regard rested squarely with them.

2. In addition to the bulk allocations as explained above, requests were often received by the Central Government from different States/Union Territories for additional *ad hoc* allocations to meet requirements for floods, cyclone and drought reliefs and other emergent needs and therefore keeping in view the overall

**Not recorded.

[Shri Narayan Datt Tiwari]

availability of cement, additional *ad hoc* allocations were made in favour of States/Union Territories.

3. As from 28-2-82, the system of cement distribution has been modified in the context of partial decontrol of cement. The State Governments will now get bulk allocations exclusive of the requirements of irrigation and power projects. The quantities of levy cement placed at the disposal of States/Union Territory Governments will be used by them keeping in view the requirements of State Government Departments, States Public Sector Undertakings and Corporations/Local Bodies. Apart from this, levy cement will be used for release in favour of socially oriented schemes like rural housing, housing for slum dwellers, Harijans, Adivasis and other poorer sections of society rural water supply schemes and other items included in the new 20 Point Programme. Levy cement will also be made available for construction of residential houses having a plinth area upto 80 sq. meters and also small quantities for repair to residential houses. Besides, levy cement will be allocated for construction of factory buildings in the small scale industrial sector. No levy cement, however, will be released for industries which use cement as raw material. Similarly, such cement will not be released for construction of buildings other than factories, construction of restaurants, hotels, cinema houses, multi-storeyed or commercial buildings and residential houses having a plinth area of more than 80 sq. meters. The allocation for irrigation and power sector will be made to the project authorities concerned directly, as assessed by the Central Water Commission/Central Electricity Authorities etc., in addition to the quarterly allocations of the States/Union Territories.

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, जो कालिग एटेंशन है, इस के विषय-वस्तु के बारे में मैं इस से पहले भी सदन में, दूसरे सदन में और कुछ अखबारों में

बहुत कुछ आया है और विशेष कर इस मामले को उन लोगों द्वारा बराबर उठाने को कोशिश की गई है, जो हमारे विरोधी दलों के लोग हैं या ऐसे अखबारों में यह बहुत-कुछ छाया रहा है, जिनको कांग्रेस कल्चर से चिढ़ है। इस बात से दुखी हो कर मैंने कालिग एटेंशन का नोटिस दिया था, जिस में मैंने यह बात कही थी कि कुछ अखबारों द्वारा जो सीमेंट के तथाकथित घोटाले की बोगी रोज की जा रही है और जो बराबर हल्ला-गुल्ला मचाया जा रहा है, उस की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। वे अखबार इस प्रकार की झूठी बातों को शायद कर के, इस प्रकार की गलत बातों को शायद कर के इस देश के राजनीतिक वातावरण को जिस तरह से दूषित कर रहे हैं और राजनीतियों की जिस तरीके से चरित्र हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह उचित है। मैं इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था क्योंकि जब भी इस विषय पर विपक्ष के सम्मानित सदस्यों द्वारा यहां पर जोर दिया है, तो आपने जिस प्रकार से...

MR. SPEAKER: I want to state that yesterday there were a number of supplementaries, when the Question on 'Assurance of Supply of Cement to all States' was answered in the House. We also had a number of Call Attention Notices about the distribution of Cement. I have allowed it for today so that there is an opportunity for clarification of the matter.

The Minister has read out, in response to the Calling Attention, a detailed statement.

While the Members, whose names are mentioned in the List of Business, against this item, would be called upon to ask clarificatory questions, as per will established procedure, may I bring to their

notice some aspects so that they may kindly keep these in view, while framing questions?

Each House of Legislature, as well as our own House, have their own Rules of Procedure and Conduct of Business. It is under these Rules that Committees, like the Public Accounts Committee and other Financial Committees, are set up. These Committees submit their reports, which are essentially recommendatory in nature, to the House of which they are a limb. As per well established procedure, Direction No. 102 in the case of our House, Government are required to furnish Action Taken Notes to the committee concerned, which would have thus occasion to further go into the matter and give the Action Taken Report. It is well settled, both in our Rules as well as in the State Legislatures, that matters which are under consideration of a Committee are not normally brought up in the House. It is therefore but appropriate that whatever be the recommendation of a particular PAC, or any other Committee constituted by a State Legislature, the action taken note by Government would go to them and it would be for that Committee to go into the matter and give their Action Taken Report. If, thereafter, any discussion is to take place on that Report, it would have to be held appropriately in that particular State Legislature.

May I also remind hon. Members that some cases relating to distribution of cement are pending in courts. I am sure, hon. Members would avoid reference to such *sub judice* matters.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि आपने जो कुछ कहा है, क्या उसका अर्थ यह है कि कर्नाटक की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, जो कि एक सार्वजनिक दस्तावेज है

अध्यक्ष महोदय : जो आपके रूल्स में है, वही मैंने कहा है। बाहर से कुछ

नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपनी मदद के लिए स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या उस रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। यह ठीक है कि जो कुछ उसमें लिखा है, उस पर कार्यवाही तब कर्नाटक में होना है।

अध्यक्ष महोदय : जो लिखा है, वाजपेयी जो मैंने वही कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कमेटी की रिपोर्ट एक पब्लिक डोकुमेंट है।

अध्यक्ष महोदय : इनकी ये बात दर्जिए, दिखा दीजिए।

We will show it to you. Whatever is in the rules, I will follow.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं सीधा-सा सवाल पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा हूँ कि जो रूल में है मैंने वही आपको कहा है।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I want a clarification. I can quote precedents now without prejudice to the rules which are there. In the past, if you go through the proceedings of the Lok Sabha, as well as the State Legislatures, very often the report of the Public Accounts Committee of Parliament, the Lok Sabha is quoted...

MR. SPEAKER: Shri Vajpayee has raised it.

PROF. MADHU DANDAVATE: While discussing or debating certain issues on the floor of the State Legislature, though they have not quoted verbatim the text of the reports, they have referred to some of the inferences

[Prof. Madhu Dandavate]

and some of the recommendations. When they can do it without reading out the reports, on the basis of that, anything can be brought before the House. That is a public document; it has been published; it has appeared in the press. How can you prevent us from referring to what has appeared in the press? If you go through the proceedings of the Lok Sabha, it has never happened in the past. Do not put more constraints on us... (Interruptions).

MR. SPEAKER: We will cross the bridge when we come to it.

श्री हरीश रावत : जं कुछ कहा गया और आज से पहले भी जं कुछ अखबारों में शायी हुआ है, शायी करने वाले और ऐसा कहने वाले लोग निश्चित तौर पर इस बात को जानते हैं कि कोई अनियमितता नहीं हुई और किसी प्रकार को किसी गार्ड-लाइंस का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसको महज राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा कहा जा रहा है यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि कर्नाटक के अन्दर, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं राज्यों की चर्चा का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इस से यह साफ झलकता है कि विपक्ष को मंशा इन मांगों की उठा कर जं उन राज्यों के मुख्य मंत्री हैं वहां की जो सरकारें हैं, उनके व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाल कर राजनीति फायदा उठाना तो नहीं है ?

MR. SPEAKER: I don't allow it. No, no.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Not allowed.

PROF. MADHU DANDAVATE: The Congress(I) Members in Karnátaka say that the Central guidelines have been violated. Let him not cast aspersions on the Members.

(Interruptions)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: In the Public Accounts Committee there, Congress(I) Members are in majority.

अध्यक्ष महोदय: उस हाउस का वो जानें They can take care of it.

देखिए मेरी बात सुनिए हरीश जी, जो जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, वह उस स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जबाब-देह होता है। We cannot discuss their conduct. You carry on with other things.

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा सवाल करिए ।

श्री हरीश रावत : मैंने तो केवल भूमिका के लिए कहा है। अतीत में भी भूमिका में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। आप कुछ तो आवाज करिए, ताकि मैं सच्ची बात कह सकूं।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री योग्य व्यक्ति है, कर्नाटक की जनता उनको चाहती है, तो उनके व्यक्तित्व के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाएगी तो सदन के सदस्य

के रूप में मेरा फ़र्ज है कि जो कुछ मैं महसूस करता हूँ वह कहूँ।

MR. SPEAKER: This is not permitted in this House.

श्री हरीश रावत : जा कुछ मैं महसूस करता हूँ वह मैं कहना चाहता हूँ।

MR. SPEAKER: This is not permitted in this House. How can you discuss the conduct of a person who is not in this House? The rules do not permit it. Why should you bring it in?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Sir, I am on a point of order. The Calling Attention deals with a matter of public importance.

MR. SPEAKER: That is what I am telling.

श्री हरीश रावत : कहा गया है कि वहाँ पर गाइड-लाइन्स का उल्लंघन हुआ है और यह ऐसे व्यक्तियों द्वारा कहा गया है जो पहले सरकार में रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन लोगों द्वारा बराबर यह मामला उठाया जा रहा है कि राज्यों को दिए गए गाइड-लाइन्स का उल्लंघन हुआ है, वे व्यक्ति शासन में थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन व्यक्तियों के शासन काल 1977 से 1980 तक क्या कोई गाइड-लाइन्स राज्यों को सीमेण्ट वितरण के सम्बन्ध में दिए गए थे। (व्यवधान)

गाइड-लाइन्स द्वारा पहले त्रै-मासिक आबंटन करते हैं, उसके लिए प्राथमिकताओं के क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं और प्राथमिकताओं के क्षेत्रों के निर्धारण के बाद किस प्रकार अपने राज्यों में अन्तर्राज्यीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करें, यह राज्य-सरकारों का काम है, केन्द्र सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकारों को देखना होता है कि किन व्यक्तियों को

किन क्षेत्रों में ज्यादा सीमेण्ट देना है, किनको कम देना है, किस तरीके से करना है। इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कर्नाटक या आंध्र में आपने जो गाइड-लाइन्स दी हैं, उनका उल्लंघन हुआ है या केवल अन्तर्राज्यीय प्राथमिकताएं जो है, उनका अपने स्तर पर निर्धारित किया गया है और उनके अन्तर्गत वितरण किया गया है और उसको ले कर कुछ लोगों द्वारा जानबूझ कर भ्रम पैदा करने की चेष्टा की जा रही है। इस भविष्य में स्पष्ट करने को कृपा करें।

इसके अलावा मेरे मित्र इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं, उनका नम्बर मेरे बाद आने वाला है वे इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ या आपसे कि पिछले 5 सालों के अन्दर।

श्री अटल बिहारी : बाजपेयी ये मुझ से पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब दूँगा।

PROF. MADHU DANDAVATE: He can reply as an ex-External Affairs Minister.

श्री हरीश रावत : मैं मंत्री महोदय से पूछ लेता हूँ, ताकि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। पिछले 4-5 वर्षों के अन्दर इस प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में जितने भी समाचार छपे हैं क्या उन सब को जांच करना आपके लिए व्यावहारिक रूप से संभव होगा? इस बीच कई राज्यों में सीमेण्ट वितरण को ले कर बहुत कुछ कहा गया है, विशेष कर पश्चिम बंगाल के विषय में हमारे कांग्रेस के मित्रों द्वारा कहा जाता है कि वहाँ पर सरकार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीमेण्ट की अलॉट-मेंट किया है और जिनको वास्तव में सीमेण्ट की आवश्यकता थी, उनको सीमेण्ट नहीं दिया गया है, गलत लोगों का सीमेण्ट दिया गया है। क्या आप उन राज्यों के बारे में

[श्री हरीश रावत]

जहां सीमेंट के बारे में धांधलियां के आरोप लगाए गए हैं, जांच करेंगे ? कर्नाटक का जहां तक सम्बन्ध है वहां पी ए सी का एक रेजॉल्यूशन था और जहां तक मेरी जानकारी है उस रेजॉल्यूशन को वहां के हाउस ने डिसम्रोन कर दिया है, वह उसका डिसम्रोन कर चुका है। हाउस ने स्पष्ट कहा है कि जो सीमेंट का एडहाक एलाटमेंट किया गया है वह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए नहीं किया गया है, वहां को विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए वहां को राज्य सरकार ने, वहां के मुख्य मंत्री ने, वहां के सिविल सप्लाय मिनिस्टर ने आपसे अनुरोध किया था कि उनका विशिष्ट मात्रा में सिमेंट का आवंटन किया जाए क्योंकि उनके राज्य में सीमेंट की कमी है। प्राथमिकता के क्षेत्र जैसे सिचाई परियोजनाओं का बात कही गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए आपने आवंटित किया था या वहां की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए वहां के मुख्य मंत्री के अनुरोध को देखते हुए आपने यह एडहाक एलाटमेंट किया था ? वहां का जो ऐंसेशियल कमांडोटीज एक्ट है उसके सेक्शन 3 के अन्तर्गत वहां को राज्य सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह सीमेंट का वितरण करे। ऐसी अगर बात है तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस पर हम यहां चर्चा कर सकते हैं, उस पर यहां विचार करना क्या इस सदन के लिए ठीक होगा ? उस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार का कोई जुरिसडिक्शन है ? कर्नाटक असैम्बली ने उस उस रेजॉल्यूशन को डिसम्रोन किया है। क्या उस विषय में किसी प्रकार से चर्चा करना या रेफ्रेंस पास करना, हमारे लिए उचित होगा ? यदि यह सदन उस पर विचार करता है तो क्या यह कर्नाटक असैम्बली के कंडक्ट पर विचार करना नहीं होगा ?

उसी प्रकार से आंध्र में कुछ गड़बड़ी की शिकायत की गई है। वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पर कुछ आरोप लगाए गए थे। जहां तक मेरी जानकारी है जब ये आरोप वहां बराबर लगाए जाते रहे और गड़बड़ी की शिकायत की जाते रही और यह चीज अखबारों में छपती रही और पहले पहल जब यह आरोप अखबारों में छपा था क्या उस समय वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बाहर विदेश के दौरे पर नहीं थे ? क्या यह सच है कि उनके द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया था जिस का चर्चा का विषय बनाया गया था ? आंध्र के मुख्य मंत्री क्या इस वास्ते जांच के लिए तैयार नहीं हो गए कि विपक्ष द्वारा बार बार जांच का मांग की जा रही थी और अपने मंत्री को पोजिशन को साफ करने के लिए, उनका ईमानदारी को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा यह कहा गया कि हम इनक्वायरी इंस्टीट्यूट कर देते हैं ? जब वह इनक्वायरी इंस्टीट्यूट करते का आदेश दे चुके हैं तो उस पर चर्चा करना क्या उचित होगा ? क्या केन्द्रीय सरकार उस विषय में कुछ कर सकती है ?

हमारे मित्त इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से इस को यहां पर उठाना भी चाहते हैं जो वे इस मामले का राजनीतिक फायदा नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए उनको दर्द है। उनका दर्द होना स्वाभाविक भी है। मैं नया सदस्य हूं। मुझे नियमों की जानकारी नहीं है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो मैं महसूस करता हूं उसको सदन के सामने रखता हूं। आपकी कम्पिटेंस के अन्दर या मंत्री की कम्पिटेंस के अन्दर है, इस पर मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं तो केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

सीमेंट का विषय जब यहां उठ चुका है तो मैं एक बात और भी कहना चाहता

हैं। आप प्राथमिकतायें निर्धारित करते हैं। लेकिन राज्यों की अपनी आवश्यकताएं भी हैं। राज्यों में जो शहरी क्षेत्र हैं उनका दबाव अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों को वहां ज्यादा सिमेंट मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों तक सिमेंट नहीं पहुंच पाता है, दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता है। यही हाल पर्वतीय क्षेत्रों का है। इस कारण से वहां के लोगों को बड़ा असन्तोष रहता। लोग बहूदा वहां सिमेंट की कमी की शिकायत करते हैं। इस बारे में क्या आप सिमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से वार्ता करेंगे? कि वह दूर दराज के क्षेत्रों तक सिमेंट प्राथमिकता के अनुसार पहुंचाने की ड्यूटी को संभालें? और क्या राज्य सरकारों से बात करेंगे कि वह सब जगह, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में सेल आउटलेट खोलें? देश के कुछ राज्यों में सिमेंट के कारखाने नहीं हैं और कुछ में हैं, जिन राज्यों में नहीं हैं उन राज्यों को जब सिमेंट लेने के लिए जाना पड़ता है तो बहुधा ऐसे राज्यों का सिमेंट कारखाने तक ट्रेन सेवायें न होने के कारण जब वह अपना इंडेंट देते हैं तो ट्रेन नहीं मिल पाती और इसको वजह से उनके इंडेंट को अवधि समाप्त हो जाती है। इस वजह से बहुत सारे राज्यों जो कुछ आप उनका आवंटन भी करते हैं, उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरे आपकी नीति है कि जितना सिमेंट उपयोग करेंगे उसके अनुसार आवंटन करते हैं। इस कारण से भी कई राज्य सफर कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा अतीत में की गई खपत के आधार पर आप सिमेंट का आवंटन करते हैं जिसके कारण उनको बहुत कम सिमेंट मिलता है। ता खपत के आधार पर जो सिमेंट आवंटन की नीति है क्या इस पर आप पुनर्विचार करने को तैयार हैं? जनसंख्या के आधार पर सिमेंट वितरण हो ताकि जहां सिमेंट के कारखाने उनके उत्पादन के अनुसार सिमेंट पैदा नहीं करते

हैं, या उनका आपको खपत की नीति के अनुसार पूरा सिमेंट नहीं मिलता है, उन राज्यों को सिमेंट की आवश्यकता को पूर्ति हो सके? इस संदर्भ में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

1981 में सिमेंट का कितना उत्पादन था और इस वर्ष कितना है? और इसको बढ़ाने के लिए जो घोष समिति को सिफारिशें हैं, उन पर आपने कहां तक अमल किया है और क्या कार्यवाही की है, और क्या आपकी सरकार ने उसको स्वीकार किया है कि नहीं? इस विषय में मैं आप से जानना चाहता हूँ कि नई सिमेंट पॉलिसी के अर्धान आप क्या कार्यवाही करेंगे। साथ ही मिनी सिमेंट प्लांट लगाने का निश्चय किया है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा कहा गया है कि मिनी सिमेंट प्लांट इकानामिकली वायबिल नहीं है, इन पर लगाई गई पूंजी डूब जायगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ऐक्सपर्ट की क्या रिपोर्ट है क्या इस प्रकार के मिनी सिमेंट प्लांट इकानामिकली वायबिल यूनिट होंगे? और यदि होंगे तो उनका ऐसे राज्यों में लगायेंगे जहां कम सिमेंट प्लांट हैं? ऐसे राज्यों का मिनी सिमेंट प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप कौन सी नीति निर्धारित कर रहे हैं?

कंट्रोल सिमेंट और फ्री सेल सिमेंट की कीमत में बहुत अन्तर है जिसके कारण उन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो कि सिमेंट पर ही आधारित हैं काफी सफर करना पड़ता है। उनकी फ्री सेल सिमेंट खरीदना पड़ता है जिससे उनके उत्पादन का मूल्य बहुत आता है। तो ऐसी स्माल स्केल सैक्टर को इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आप को फ्री सेल की जगह पर उनको भी लेवी सिमेंट उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है।

[श्री हरीश रावत]

इसी तरह अध्यक्ष जी, सीमेंट इंडस्ट्री बड़ी पुरानो हो गई है ...

अध्यक्ष महोदय : यह तो विपक्ष के लिए रहने दीजिए ।

श्री हरीश रावत : उनके फ़र्ज को मैं ही पूरा किये देता हूँ । मैं जानना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के मॉडर्नाइजेशन के विषय में सरकार क्या नीति अपना रही है ? आपका नई सीमेंट नीति का मैं स्वागत करता हूँ और जब से मंत्री जी ने कार्यभार सम्हाला है सीमेंट उत्पादन बढ़ा है जो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है । जिस मजबूती के साथ आप इस उद्योग को पनपा रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जो पहला प्रश्न माननीय युवा सदस्य ने पूछा वह 1978 में क्या नीति थी सीमेंट वितरण को इस संदर्भ में पूछा । आधार-भूत दृष्टिकोण से, बुनियादी दृष्टि से यह जो वर्तमान नीति है यह सितम्बर, 1978 से ही मुख्यतः लागू हुई । हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्य सरकारों के परामर्श से जो माडर्न स्कीम 25 सितम्बर, 1978 से लागू की गई, उसमें यह शब्द थे :—

"Commencing from October 1, 1978, there will only be a single bulk allotment of cement by the Cement Controller in respect of each State Government. The Cement Controller/Regional Cement Controllers will also indicate the linkages, that is, the factory allocations from the factories and the areas to be served by them within each State subject to the bulk allocations and the linkages as specified above. The State Governments would be free to divide allocations as between RC/ORC and public sale categories and also to issue individual authorisations."

सिंगल ब्लाक एलोकेशन को यह बुनियादी नीति, जिसके अन्तर्गत सीमेंट कंट्रोलरों को अधिकार दिये गये, यह 1978 में नियमित कर दं गई । उस समय यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि जो इरिगेशन पावर सैक्टर है, उनके लिए प्राय रिजर्वेशन प्रारम्भ से ही हो जायेगा और उसको बाद में दूसरे स्तरों पर आबंटित नहीं किया जा सकेगा, दूसरे सैक्टरों में उसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है । यह गाइड-लाइन दं गई थी । बाकी एलोकेशन को, राज्य को अपना प्रायटीज के आधार पर स्वतन्त्रता दं गई ।

जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि लघु उद्योगों के लिए 10 प्रतिशत को रिजर्वेशन को सीमा दं गई और उसमें किस तरह से सीमेंट दिया जायेगा, यह राज्यों के लिए छोड़ दिया गया । यह नीति किसी एक दल का नहीं है, यह पहले से चली आ रही है, सर्वसम्मत है कि राज्य सरकारों को छूट रहना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह दलदल वाली नीति है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जिस दलदल की अपने 1978 में ही ढूँढ लिया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तक 78 का गीत गा रहे थे, अब पलट गये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : स्वागत है श्रीमन्, अगर कोई विद्वान सदस्य कोई बात कहे तो ।

अध्यक्ष महोदय : आज विद्वान-विद्वानों का आदर है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं विद्वान नहीं संसदीय पद्धति का विद्वानी हूँ ।

श्री बटल बिहारी बाजपेयी : सफेद बालों का कुछ तो ख्याल करो ।

श्री नारायण वल्ल तिबारी : सफेद बालों की तुलना में तो शायद मुझे सेवक के सफेद बाल ज्यादा निकलें ।

PROF. MADHU DANDAVATE:

It is an optic illusion.

श्री नारायण वल्ल तिबारी : जहां तक कर्नाटक और आंध्र का प्रश्न है कि क्या किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जैसा मैंने बताया कि हमारी गाइडलाइन यह है कि इरिगेशन पावर सैक्टर का जो रिजर्वेशन है, उस सीमेंट को दूसरे सैक्टर में डाइवर्ट नहीं किया जायगा । 10 प्रतिशत स्माल स्कोल इंडस्ट्रीज के लिये रिजर्व किया जायेगा । यह हमारी मुख्य गाइडलाइन है और सलाह दी है कि जो कमजोर तबके हैं, उनके लिये सीमेंट का प्रावधान अपनी नीति से करेंगे ।

जहां तक हमारी गाइडलाइन का सबाल है, हमारी जानकारी के अनुसार उनका कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न इसकी कोई शिकायत ही मेरे पास आई है और ना ही, जिन कमेटीयों का उद्घरण दिया जाता है, उसमें कहा गया है कि सेंट्रल गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है ।

जहां तक प्रश्न है कि पिछले 5 सालों में जो पिछली सरकारें थीं, राज्य सरकारें थीं, उन सब की सीमेंट के बारे में जांच कराओ, मैं अपने सम्मानित युवा सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस बारे में बह जोर न दें । क्योंकि 5 वर्ष की सहस्रों-हजारों शिकायतें हो सकती हैं और तमाम राज्यों में कई सरकारें बदली हैं, आई हैं और गई हैं । उन सबकी जांच कराना संभव नहीं है । राज्य सरकारों के अपने नियम हैं, वह जांच कर सकती थीं । सीमेंट कंट्रोल आर्डर के मुताबिक जो राज्य सरकारों को

अधिकार प्राप्त हैं, राज्य शासन उनके मुताबिक उन पर मुकदमें करते रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक सरकार करती रही है, ऐसा मुझे विश्वास है, उसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें करती रही हैं ।

उन्होंने सूचना दी है कि पी ए सी की रिपोर्ट को कर्नाटक का हाउस डिस्कस कर चुका है । मैंने भी कई समाचारों पत्रों में पढ़ा है कि कर्नाटक को पी ए सी की रिपोर्ट पर वहां की विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया । उस पर करीब 14 घंटे विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि पी ए सी की रिपोर्ट से वे सहमत नहीं हैं । मैंने अखबारों में यह पढ़ा है । अगर माननीय सदस्य इस बारे में कोई जानकारी चाहेंगे, तो मेरे लिये वह मंगाना उचित नहीं है, आप उसको ज्यादा अच्छी तरह मंगा सकते हैं, क्योंकि आप श्रीमन इसके अधिकारी हैं ।

जहां तक इस बात का संबंध है कि आंध्र प्रदेश के मंत्री बाहर गये हुये थे, मैंने दूसरे सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में सूचना मांगी थी । मैंने आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री का वह वक्तव्य देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस समय की यह चर्चा है, वह उस समय विदेश यात्रा पर बाहर गये हुये थे, जिस समय उस राज्य में सीमेंट का एनोक्शन हुआ, उस समय वह बाहर थे । उनके लौटने के बाद उनके पास सूचना के लिये फाइल गई थी ।

श्री हरेश रावत : मैंने एक प्रश्न और पूछा था कि क्या इस बीच आपने कर्नाटक को उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर कोई एड हाक एसाटमेंट किया है; अगर किया है, तो क्या उसके अंतःराज्यीय वितरण के लिए कोई गाइडलाइन तो

[श्री हरीश रावत]

नहीं दी गई थी। क्या एसेंशल कामो-डिट्रीज एक्ट के सैक्शन 3 के अनुसार यह राज्य का ही अधिकार है या नहीं कि वह अपने राज्य में उसका वितरण करे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं क्षमा चाहता हूँ कि यह प्रश्न रह गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, राज्यों को उत्पादन के आधार पर यदा-कदा एड हाक एलाट-मेंट होते रहे हैं। अगर हमारे पास सीमेंट उपलब्ध रहा है, उत्पादन बढ़ा है, तो कहीं आंधी आ जाए, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कभी कोई विशेष आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में सीमेंट का एड हाक एलाटमेंट किया जाता है, और कर्नाटक को भी किया गया। कर्नाटक को उनकी मांग के आधार पर दस हजार टन के लगभग एलाटमेंट किया गया और उन्हें अपने नियमों और अपनी पद्धति के अन्तर्गत उस दस हजार टन सीमेंट का वितरण करने का अधिकार था, जैसा कि हर राज्य को है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपने वह एलाटमेंट काहे के लिये किया था ? वह आपने एक स्पेसिफिक परपज के लिए किया था। यह आपके आर्डर में मौजूद है। आप बता दीजिए कि स्पेसिफिक परपज के लिए नहीं किया। वह गवर्नमेंट प्राजेक्ट्स के लिए किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य सवाल करें, मंत्री महोदय उन्हीं का उत्तर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं उन्हीं का उत्तर दूंगा। मैं तो सेवक हूँ सदन का, आपका।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक सेवक को दूसरे सेवक का प्रणाम।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं केवल सेवक मात्र हूँ, आप अनन्य सेवक हैं।

अध्यक्ष महोदय : और मैं विशेष हूँ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : डेफिसिट क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों के संबंध में हमने सीमेंट उत्पादक संघ, सीमेंट मैनूफैक्चरर्स एसोसिएशन से तीन बार वार्तालाप किया है और उस संस्था के अध्यक्ष, श्री कृष्णस्वामी, ने भी सभी सीमेंट उत्पादकों की ओर यह आश्वस्त किया है, यह भरोसा दिलाया है कि वे सारे डेफिसिट एरियाज में—जम्मू-काश्मीर से लेकर नागालैंड और मिजोरम तक कम से कम 1981 के लैवल पर हम सीमेंट पहुंचाएंगे। मैं माननीय सदस्य से सिद्धान्ततः सहमत हूँ कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि फ्री सेल का सीमेंट अधिक से अधिक दूर-दूर के क्षेत्रों में पहुंचे। उसके लिए सीमेंट उत्पादकों को कहा गया है कि वे नये स्टाकिस्ट को नियुक्त करें और बिक्री के लिए अपने आउटलेट खोलें, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में, और विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, फ्री सेल के लिए सीमेंट उपलब्ध हो। अपने युवा सदस्य के सुझाव को देखते हुये मैं फिर उन से बात-चीत करूंगा और हमारा सतत् प्रयास रहेगा कि यह दिशा बनी रहे और जो हमारा उद्देश्य है उसके क्रियान्वयन में हम सब सफल हों।

उन्होंने यह बात कही कि राज्यों में खपत के आधार पर सीमेंट एलाटमेंट के प्रश्न पर पुनर्विचार होना चाहिये और जनसंख्या का आधार माना जाना चाहिये खपत की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और इसको बिल्कुल ही आधार न बनाये,

यह संभव नहीं है। कुछ राज्यों में अधिक कारखाने व उद्योग हैं। बड़े शहर हैं इसलिये वहाँ पर अधिक खपत हुई है। कुछ बन्दरगाहों के क्षेत्र रहे हैं इसलिये वहाँ ज्यादा खपत हुई है। अतः हम खपत को आधार तो मानेंगे ही लेकिन साथ-साथ जनसंख्या के आधार को भी हमने स्वीकार किया है। इसीलिये लेवी सीमेंट को आवंटित करने की जो प्रक्रिया हमने निर्धारित की है उसमें खपत के आधार के साथ-साथ जनसंख्या का आधार, पिछड़ेपन का आधार—इसको भी हमने उसमें रखा है। मुझे आशा है इस संबंध में हमें इस माननीय सदन का आशीर्वाद प्राप्त होगा और एक व्यावहारिक नीति जो पिछड़ेपन और औद्योगिक प्रगतिशीलता के समन्वय के आधार पर बनाई गई है वह सफल होगी।

इसके साथ-साथ कुल कितना उत्पादन होगा और उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी होगी—इसके आंकड़े माननीय सदस्य ने मांगे हैं 1979-80 में 17.62 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था। 1980-81 में 18.56 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। और यह वर्ष जो अभी कल ही समाप्त हुआ है, इस 1981-82 वर्ष में 21 मिलियन टन का अनुमानित उत्पादन है। इस प्रकार से उत्पादन बढ़ा है। अब इस वर्ष नई नीति के परिणामस्वरूप हमें आशा है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़कर 26 मिलियन टन हो जायगा। जो कारखाने पहले से चल रहे हैं उन में 21 मिलियन टन से बढ़कर 22 मिलियन टन उत्पादन होगा। उनका क्षमता बढ़ेगा। दूसरी और जो नये कारखाने लग रहे हैं उनसे हमें आशा है 4 मिलियन टन सीमेंट की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, 26 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन इस देश में होगा और 2 मिलियन टन सीमेंट इम्पोर्ट करने की छूट दी गई है—इस प्रकार

से 1982-83 में लगभग 28 मिलियन टन सीमेंट वितरण के लिए प्राप्त हो सकेगी। हमें आशा है इस अधिक उत्पादन और उपलब्धि से सीमेंट के वितरण में आसानी होगी।

छठी पंचवर्षीय योजना में कुल मिला कर 23.45 मिलियन टन की नयी क्षमता लाने का प्रावधान है। 1982-83 में 5.64 मिलियन टन की नयी क्षमता का प्रावधान है, 1983-84 में 3.85 मिलियन टन, 1984-85 में 5.94 मिलियन टन की नयी क्षमता का प्रावधान है। इस तरह से आप देखेंगे कि नयी क्षमता बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। छठी योजना शुरू होने से पहले देश में जहाँ 24 मिलियन टन की सीमेंट की इन्स्टाल्ड कपेसिटी थी उसकी तुलना में केवल पांच साल में लगभग उसके बराबर, 23.45 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाई जा रही है। छठी योजना का यह एक मुख्य लक्ष्य है। हमें आशा है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे जोकि हमारी आवश्यकता के अनुरूप होगा।

मिनी सीमेंट प्लांट्स के संबंध में जो हमारी नीति है, उसको भी मैंने स्पष्ट किया है। जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, जो दुर्गम और वीहड़ क्षेत्र हैं, जहाँ पर चूने के छोटे छोटे भंडार हैं, जो बड़े कारखानों के लिये तो उपयुक्त नहीं है लेकिन मिनी सीमेंट प्लांट्स वहाँ पर लगाये जा सकते हैं। अतः ऐसे दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में 66,000 टन कपेसिटी वाले मिनी सीमेंट प्लांट्स लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। अभी तक मिनी सीमेंट प्लांट्स की जो उत्पादन क्षमता है वह 5.2 मिलियन टन है। आगे भी हमारी यह नीति जारी रहेगी और एम आर टी पी के अन्तर्गत हमने यह कह दिया है कि मिनी सीमेंट प्लांट्स पर कोई लेवी नहीं लगेगी, उनका

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उत्पादन फ्री सेल में जायगा। मिनी सीमेंट प्लांट्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन पर कम एक्साइज ड्यूटी (100 रुपया प्रति टन) लगाई है। आगे भी इस में कहा है—उन को और छूट देने पर समय-समय पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार सम्मानित सदस्य देखेंगे कि मिनी सीमेंट प्लांट्स को उचित अनुपात मात्रा में प्रोत्साहित करने का प्रयास जारी है।

जहां तक यह मुद्दाव है कि छोटे उद्योगों के लिये फ्री सेल के बजाय लेवी सीमेंट की व्यवस्था कां जाय। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि जहां तक छोटे औद्योगिक कारखाने बनाने का प्रश्न है, बिल्डिंग बनाने के लिये, भवन बनाने के लिये, उस सीमा तक तो लेवी की सीमेंट दी जायगी, लेकिन अगर कोई बहुत छोटे कारखाने हैं जिन्हें कच्चे माल के बतौर सीमेंट चाहिये तो उनके लिये मैंने कल भी कहा है कि उनके लिये हम विचार कर सकते हैं। अगर उन को कच्चे माल के लिये सीमेंट की आवश्यकता हो तो उस पर विचार करने के बारे में हम सोच रहे हैं और इस संदर्भ में मैं सम्मानित सदस्य के मुद्दाव का स्वागत करता हूं।

माडर्नाइजेशन (आधुनिकीकरण) बहुत आवश्यक है, इसी लिये यह ड्यूअल-पालिसी रखी गई है, क्योंकि सीमेंट उद्योग कहना था कि हमारे पास आधुनिकीकरण के लिये रिसोर्सज नहीं हैं तथा यदि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया या अन्य वित्तीय संस्थाओं से रुपया लेना चाहें, तो हमारे पास हमारे हिस्से का जितना पैसा होना चाहिये, उतना पैसा भी यदा कदा नहीं होता है। इस लिये फ्री-सेल की जो इजाजत मिली है वह इसलिये मिली है ताकि वे अपने को माडर्नाइज कर सकें। इस संबंध में मैं विशेष

लोगों की प्रतिनिधियों की बैठक भी बुला रहा हूं कि किस प्रकार के प्लांटस हम बनवा सकते हैं। जहां ग्राव्सोलीट टकनालाजी है किस प्रकार उस को माडर्नाइज करेंगे, इसकी पूरी रूप रेखा सी०एम०ए० से बातचीत करके बना रहे हैं। इसीलिए रिसर्च पर भी ज्यादा रुपया लगा रहे हैं। रिसर्च के लिये विशेष व्यवस्था होगी और ऐसी कोशिश है कि उस पर ज्यादा पैसा लगा कर सीमेंट रिसर्च इंस्टीचूट के जरिए अधिक काम कर सकें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सदन में सीमेंट की चर्चा हो रही है। सीमेंट अभी तक जोड़ने का काम करता था, अब ऐसा लगता है कि सीमेंट ने तोड़ने का काम करने का फैसला कर लिया है। सीमेंट में मिट्टी की मिलावट की शिकायतें बहुत पहले आती थीं, अब ऐसा लगता है कि सीमेंट ने कुछ लोगों की प्रतिष्ठा को, कुछ लोगों के पदों को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है। एक राज्य के मुख्य मंत्री सीमेंट की बलि पर चढ़ गये। दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री सीमेंट के कारण रात में सुख की नींद नहीं सो पा रहे हैं। तीसरे राज्य के कुछ मंत्री सीमेंट के घपले में फंसे हुये हैं।

यह सीमेंट इतना विकराल रूप कैसे धारण कर गया, सदन को इस बारे में थोड़ा गहराई से विचार करना होगा उद्योग मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसे पढ़ कर मुझे गहरा धक्का लगा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है—“केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व केवल इकट्ठा आबंटन करने की व्यवस्था करने तक ही था।” फिर आगे उन्होंने कहा है—“राज्य संघ शासित प्रदेशों द्वारा इस बारे में निर्धारित प्रक्रियाओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों को यदि कोई ही तो, अपनाने का उत्तरदायित्व

पूरा; तरह उन्हीं पर निर्भर करता है।”

अध्यक्ष महोदय, सीमेंट का उद्योग एक शीड्यूल इंडस्ट्री के अन्तर्गत आता है। हमने सीमेंट को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है। सीमेंट के वितरण के लिये सीमेंट कंट्रोल आर्डर है, जो कि केन्द्र का है। वितरण के बारे में हमने राज्यों को अधिकार डेलीगेट किये हैं। राज्यों ने वह अधिकार प्रादेशिक स्वायत्ता में से प्राप्त नहीं किये हैं। क्या यह केन्द्र का काम नहीं है कि अगर कोई अधिकार डेलीगेट किये जाते हैं और जिसकी अधिकार डेलीगेट किये जाते हैं वह किस तरह से अधिकारों का उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है? क्या यह केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं है? मगर कुछ भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिये उनके पापों पर पर्दा डालने के लिये उद्योग मंत्री आज सदन में ऐसी बात कह रहे हैं जो भविष्य में जाकर केन्द्र के लिये बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करने वाली हैं।

उन्होंने एक बात मानी है कि हमने गाइड लाइंस दी हैं। जो निर्देश निश्चित किये हैं, उनमें एक यह था कि सिंचाई योजनाओं के लिये जो सीमेंट आवंटित किया जाता है, उस का उपयोग सिंचाई के लिये होना चाहिये। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि कर्नाटक का सारा विवाद इसी बात को लेकर शुरू हुआ कि सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिये सीमेंट को कमी पड़ गई। पब्लिक एकाउन्ट्स-कमेटी ने उसकी जांच शुरू की और जांच में ऐसे तथ्य सामने आये, जिनसे आँखें खुल गई। इसलिये मैं मंत्री महोदय से पहला सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सची है कि कर्नाटक में जो सीमेंट केन्द्र का और से आवंटित किया गया था या राज्य को उसके अधिकार के अनुसार

मिला था, उसका उपयोग सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए न कर के और कामों में लगा दिया गया? क्या इस संबंध में मंत्री महोदय ने कर्नाटक की पब्लिक-एकाउन्ट्स-कमेटी की रिपोर्ट देखी है? यदि देखी है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिये?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना भी ठीक नहीं है कि सारे मामले राज्यों पर छोड़ दिए हैं। लोक-सभा के एक अन-स्टैंड क्वेश्चन नं० 166, जिसका कि उत्तर डा० चरणजीत चानना ने दिया था, को उद्धृत करना चाहता हूँ। पता नहीं श्री तिवारी जी इस मामले में बेकार में फंस गए। इस सारे सीमेंट के घोटाले के मामले में अगर कोई मुख्य अभिनेता है, तो वह डा० चरणजीत चानना ही है।

“States/Union territories do not send the demand for cement on a regular basis. The States are given allocation of cement every quarter on the basis of past consumption and the overall availability of cement. However, keeping in view the opinions frequently expressed both in Parliament and outside, Government have now decided to give weightage to population and also to plan schemes such as Minimum Needs Programme, Water Supply Schemes in Rural areas and housing schemes for slum dwellers and the needs of harijans, adivasis and other poorer sections of the society in respect of allocation of cement.”

इसमें गरीब लोगों के मकानों के लिए सीमेंट दिया जाए, इस का उल्लेख है। बंगलौर में, हैदराबाद में, आकाश को चुमने वाले अपार्टमेंट बनाने वाले ठेकेदारों के लिए, जो कि स्वयं भ्रष्ट है और भ्रष्ट राजनीतियों के साथ गठबन्धन रखते हैं उनको को सीमेंट देने का उल्लेख नहीं किया

[श्री अटब बिहारी वाजपेयी]

गया है। क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि यह जवाब राज्यों पर लागू नहीं होगा ? अध्यक्ष महोदय, यह मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यह राज्यों पर लागू नहीं होगा, यूनियन-टैरेटरीज पर लागू नहीं होगा, तो केन्द्र का नीति संबंधी फैसला कहां लागू होगा ? राज्यों को आपने निकाल दिया, केन्द्र प्रशासित क्षेत्र स्वतन्त्र है, चाहे जिस तरह से सीमेंट बांटे, भले ही सीमेंट की कमी हो, भले ही काला-बाजार में बिके, भले ही कुछ लोग सीमेंट को सोना बनाकर बेचना चाहते हों, केन्द्र ने सीमेंट दे दिया—बांटो।

13.00 hrs.

उद्योग मंत्री जी यह कहना चाहते हैं। यह स्लम डुबलर्स की बात है, बिल्क कन्ज्युमर्स की बात नहीं है, मल्टी-एपार्टमेंट निर्माण करने वालों की बात नहीं है। क्या वे इस से इन्कार कर सकते हैं कि कर्नाटक में भी और आन्ध्र में भी वाक कन्ज्युमर्स को सीमेंट दिया गया ? कर्नाटक में 32 पार्टियाँ हैं और आन्ध्र में 143 लोग हैं। ये गरीब लोगों के लिए मकान बनाने वाले लोग नहीं हैं। मैं उन की सूची सदन के पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ। ये बड़े-बड़े भवन निर्माता हैं, जिन की नजरें आसमान पर लगी हैं मगर जिन का अष्ट राजनीतिज्ञों के साथ गठबन्धन है।

अध्यक्ष महोदय : वे ऊपर चढ़ कर और ऊंचा चढ़ना चाहते हैं।

श्री अटब बिहारी वाजपेयी : जी, हाँ व जितने ऊंचे हैं, उस से संतुष्ट नहीं हैं। वे और ऊंचा चढ़ना चाहते हैं

और उन को ऊंचा चढ़ाने के लिए ये सीमेंट मुहय्या करा रहे हैं।

मैं एक तीसरी बात और कहना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकारें स्वतन्त्र हैं सीमेंट का वितरण करने के लिए। क्या इस का अर्थ यह है कि राज्यों के लिए सीमेंट के वितरण का कोई नियम नहीं होगा, कोई प्रक्रिया नहीं होगी ? क्या डिस्ट्रिक्शन एम्सोलूट डिस्ट्रिक्शन, अनफैटर्ड डिस्ट्रिक्शन है ? देश में जंगल का राज्य तो नहीं है। हर राज्य ने कुछ नार्म्स तय किये हैं। मैं आन्ध्र के एक आदेश का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह आदेश जारी किया गया 16-9-1981 को। यह गवर्नर के नाम पर आदेश जारी किया गया है और यह वहाँ के गजट में प्रकाशित हुआ है। उस आदेश के अनुसार, मैं उद्धृत कर रहा हूँ :

"All applications of all other bulk consumers like housing complexes, construction of cinema theatres, rice mill construction, etc. and construction of houses by the individuals shall be considered only by the District level committee and suitable quantities of cement allotted."

इस आदेश में यह कहा गया है कि अधिक मात्रा में सीमेंट देना होगा, तो डाइरेक्ट के स्तर पर एक कमटी होगी। इस में मंत्री कहां आता है, इस में मुख्य मंत्री कहां आता है। कमटी को जो यह जिम्मेदारी सौंपी गई, तो यह आन्ध्र प्रदेश की सरकार के फैसले से हुआ लेकिन जब कुछ पार्टियों को अनुगृहीत करना था, तो आन्ध्र सरकार ने अपनी पार्टी के नाम तक पर रख दिये ; इस आदेश में आगे यह भी कहा गया है, मैं उद्धृत कर रहा हूँ :

"That the application of all bulk consumers other than industrialists

should also be disposed of by the district level committee constituted by the Government."

मगर बाद में जो 143 बल्क कन्ज्यूमर्स को सीमेंट दिया गया, उस में कौन सी कमेटी का फैसला था। मंत्री ने मनमानी कैसे की।

श्री एम० राम गोपल रेड्डी (निजामाबाद) : आप खुद हैदराबाद में जा कर यह बोले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं क्या बोला, ये मुझे बता रहे हैं।

श्री एम० राम गोपल रेड्डी : आप गलत बोल रहे हैं, मुझे कहना पड़ेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं गलत बोल रहा हूँ? . . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बोलने की आज्ञा है, आप को नहीं। मैं मंत्री जी को आज्ञा दूंगा, आप को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कर्नाटक के मामले में भी वहां के डाइरेक्टर ने और सेक्रेटरी आफ इंडस्ट्रीज एन्ड कामर्स ने क्या कहा, यह सदन के सामने उद्घृत करना चाहता हूँ। मैं उस ईमानदार अफसर की तारीफ करना चाहता हूँ। मंत्री तुले हुए थे केन्द्र द्वारा प्राप्त सीमेंट को, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए दिया गया था, बल्क कन्ज्यूमर्स को देने के लिए, मगर सेक्रेटरी आफ इंडस्ट्रीज एण्ड कामर्स ने अपना एक अलग नोट लगाया। उसकी कापी मेरे पास है और मैं उस में से पढ़ना चाहता हूँ डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज से मेरा मतलब था।

15-7-1981 on this matter may kindly be seen at serial No. C|F. . . The Director of Industries has pointed out that though the additional quota of 10,000 tonnes have been released by the Government of India, as per the telex dated 2nd July, 1981, received from the Union Minister of State for Industry, addressed to our Minister for Good and Civil Supplies, the allotment is for Government departments for immediate lifting by road from the Kistna|Vijayawada."

आज मंत्री महोदय सदन में आकर कहते हैं कि हमने जो सीमेंट, दिया था उसका उपयोग करने के लिए कर्नाटक सरकार स्वतंत्र थी। वह सरकारी विभागों के लिए दिया गया था। वहां के अफसरों ने भी यही कहा है अफसर का फिर आगे भी लिखा हुआ है —

The 10,000 tonnes of cement specially allotted for Government Depts. be earmarked only for Government Depts. and no allotment to be made to the Apartment Builders. The Apartment Builders be given 2,500 tonnes of imported cement from Vizag which is expected to be allotted during this quarter.

डा० चानना ने क्या टेलेक्स भेजा? मैं उसको भी पढ़ना चाहता हूँ, मंत्री महोदय ने भी इसको देखा होगा—

To Shri Manik Rao Patil, Minister for Food and Civil Supplies, Government of Karnataka, Bangalore: From: Dr. Charanjit Chanana, Union Minister of State for Industries, Government of India, New Delhi: "Ref: Your Telex Message regarding additional allocation of 10,000 tonnes of cement to Karnataka from Krishna|Vijayawada to be collected for the Government Departments for immediate lifting by road."

क्या यह टेलेक्स स्पष्ट नहीं है? या कर्नाटक सरकार ने इस सारे मामले में सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया?

अध्यक्ष महोदय, जब सीमेंट बाजार में मिलता नहीं था, जब सीमेंट की कीमतें

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बहुत ऊंची थीं तो किसी को सीमेंट दे देना उसको आर्थिक लाभ पहुंचाना है। यह सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है। आउट ऑफ़ टर्न अगर सीमेंट दिया जाएगा तो क्या नियमों की अवहेलना नहीं होगी। क्या नागरिकों के बीच में भेद-भाव नहीं किया जाएगा? क्या मंत्री महोदय इन्कार कर सकते हैं कि कर्नाटक और आन्ध्र में आउट ऑफ़ टर्न सीमेंट दिया गया है?

श्री मधु बंडवते : महाराष्ट्र के बारे में ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महाराष्ट्र का मामला मैं नहीं ले रहा।

(व्यवधान)

इसलिए कर्नाटक पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने मांग की है कि इनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिये कि क्या यह केवल सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, सत्ता के दुरुपयोग का मामला भी बड़ा गंभीर मामला है, अगर सीमेंट देने में कोई और कारण तो नहीं है। मंत्री महोदय यह कह कर अपनी जिम्मेदारी नहीं टाल सकते कि यह प्रदेश का मामला है। उस प्रदेश में आज आपके दल की सरकार है। यदि हमारे शासन में कोई यत्नियां हुई हैं...।

एक अनानुषंगिक संवैधानिक : भयंकर [हुई हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो जांच करो न—मैं तैयार हूं। (व्यवधान)

ऐसे मामले ज्यादा नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं तबारी जी से दो-तीन सवाल फिर से संक्षेप में दोहरा कर पूछना चाहता हूं। मुझे उनकी

स्थिति के साथ हमदर्दी है। मगर उन्हें सदन की गरिमा का खयाल रखना चाहिये। उन्होंने इस वक्तव्य में यह नहीं कहा कि सिंचाई के लिए सीमेंट के आवंटन को प्राथमिकता देने पर केन्द्र ने जोर दिया था—यह नहीं कहा था। यह उन्होंने वाद में जवाब में कहा है क्या? क्या उन्हें यह पता नहीं है कि कर्नाटक का सारा मामला इसलिए शुरू हुआ है कि सीमेंट सिंचाई योजनाओं के लिए न जाकर और जगह चला गया। क्या केन्द्र इस मामले की जांच नहीं करेगा। आंध्र में 10,300 टन सीमेंट बल्क कंज्यूमर्स को दे दिया गया और देने की प्रक्रिया 4 दिन में पूरी की गई। सरकार इस रफ्तार से काम करती है, यह बात हमने आंध्र में देखी है।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): There is no misuse of cement. The question is whether this has been utilised for public purposes...

MR. SPEAKER: You are not to decide it.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पुराना आदेश रद्दी की टोकरी में फैंक दिया।

क्या निर्णय लिया गया। सीमेंट के वितरण की जिम्मेदारी एक ऐसे अफसर पर है जिस का दफ्तर मद्रास में है। हवाई जहाज से एक आदमी फ़ाइल ले कर, सीमेंट वाली फ़ाइल ले कर मद्रास गया और वहां से आदेश ब्रिगेडिस ले आया। चार दिन में फटाफट जिन्हें सीमेंट देना था दे दिया गया। पुरी पूर्ती दिखाई गई। क्या बल्क कंज्यूमर्स के लिए यह मनानीय संवेदना का उद्घाटन नहीं था। जो कुछ दिखाई देता है उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह साधारण मामला है। यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार इसकी जांच

कराए और यह जांच निष्पक्ष होनी चाहिये, स्वतंत्र होनी चाहिये। क्या यह इसके लिए तैयार है ? अगर जनता सरकार को भी इस में आप शामिल करना चाहते हैं तो करें। लेकिन इस तरह का जवाब जिस तरह का जवाब आप दे रहे हैं, दे कर आप संसद को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और न बाहर देश की जनता के मन में ही यह भावना पैदा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने की आपकी घोषणायें सचमुच में कोई महत्व रखती हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : सदन की सम्माननीय परिपाटी के अनुसार प्रारंभ में ही निवेदन करूंगा कि मुझे भी बड़ा गहरा धक्का लगा है कि मैं सम्माननीय सदस्य को संतुष्ट नहीं कर सका। यह मेरी अल्पना है और मैं क्या कह सकता हूँ माननीय सदस्य वाणी के धनी हैं उनकी जो मुद्राएं हैं, संसदीय मुद्राएं वे भी देखने लायक होती हैं—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुद्रा के दो मतलब होते हैं। मेरे पास कहां मुद्रा है ? सारी मुद्रा तो उधर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुद्राओं में अटल नहीं हैं, श्रीमन्।

उनकी जो बुनियादी भित्ति है मुझे ऐसा लगता है कि उस पर उनको पुनर्-विचार करना चाहिये। उनका कहना है कि सीमेंट जोड़ने वाला नहीं रह गया है, तोड़ने वाला हो गया है। वह सीमेंट ही नहीं है जो जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ता है।

विशेषणजन्य जो उनकी भावनायें हैं उनका मैं आदर करता हूँ। मेरा उनसे एक और भी आग्रह है। उन जैसे

वरिष्ठ नेता से जो एक सार्वजनिक दल के भी सर्वमान्य नेता है मुझे यह आशा नहीं थी कि प्रतिष्ठाओं को मिट्टी में मिलाने के अभियान में कम से कम वह सहयोगी बनेंगे, सहायक बनेंगे। मुझे जैसे विनम्र सेवक की तुच्छ बुद्धि में आज के सार्वजनिक जीवन में अपने नेताओं की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का पास्परिक अभियान प्रजातंत्र के लिए सब से बड़े खतरे में से एक है। मैं उन से यह आशा नहीं करता था कि ऐसे अभियान में वह आसानी से अपना सहयोग देंगे...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सत्य सामने हैं, तथ्य सामने हैं, मैं क्या करूँ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : तथ्यों को भी वह जानते हैं तोड़मरोड़ कर रखा जा सकता है। वह ऐसा नहीं करेंगे, इसकी मुझे आशा है। आज भी आशा है कि तथ्यों को तोड़मरोड़ कर वह नहीं रखेंगे, उस में वह सहयोगी नहीं बनेंगे।

उनका कहना यह है कि जो डैली-गेटड पावर है केन्द्र सरकार की वह डैलीगेटड पावर स्वायत्तता के अधिकार के अन्तर्गत नहीं है बल्कि एसेशियल कमोडिटीज एक्ट या कनकरेंट पावर के अन्तर्गत आती है। सीमेंट के बारे में जो आर्डर है वह केन्द्र का भी है और अलग से राज्य का भी है। एसेशियल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत आदेश केन्द्र भी निकालता है और राज्य सरकारें भी निकालती है, उनका भी अधिकार है। यह केवल डैलीगेटड पावर नहीं है बल्कि सांद्रित सावरेन पावर है जो संविधान के अनुसार किसी भी विधान मंडल को संविधान के अन्तर्गत प्राप्त है। सावरेन लैजिस्लेचर की सावरेन पावर है उसके अन्तर्गत वे कानून बनाती हैं—

एक माननीय सदस्य : सावरेन ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सावरेन-
रेनटी तो यहां है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सावरेन
मत कहिये, आप मुश्किल में फंस जायेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जो डेली-
गेटिड पावर्ज हैं, उस मामले में राज्य भी
कानून बना सकते हैं, आर्डर निकालते
सकते हैं। आज भी उन्होंने आर्डर निकाले
हुए हैं। इन डेलीगेटिड पावर्ज में कहा
गया है कि जिलों में क्या ढांचा होगा ?
हर जिले में क्या होगा, कौन सीमेंट
अथॉरिटी होगी, किस प्रकार लाइसेंसिंग
होगी, किस प्रकार स्टाकिस्ट्स लाइसेंस
किये जायेंगे, क्या कीमत होगी, क्या
ट्रांसपोर्ट कौस्ट होगी इसको विस्तार से
राज्य सरकार ही तय करेगी। और
इसीलिए 1978 में, मैं उनको बधाई
देता हूँ कि उनकी सरकार ने यह निर्णय
लिया कि बल्क एलोकेशन राज्यों का किया
जाय। उन्होंने चानना साहव का अकारण
नाम ले लिया, मैं तो उन्हें डिफेंड कर रहा
हूँ कि 1978 में जो उनकी सरकार ने
सिद्धान्त निष्पादित किये थे वह ठीक थे,
और उन्हीं को आज हमने माना है, और
उन्होंने व्यावहारिक काम किया कि हर
चीज यहां से निर्धारित नहीं कर सकते
और उसमें हम सफल नहीं हो सकते।
तो हमने कहा बल्क एलोकेशन करने का
अधिकार यहां है और उसके अनुसार
नियम बना दिये कि पावर, इरीगेशन
सैक्टर ऐसा है जिसे हमें सुरक्षित रखना
चाहिए, इसका सीमेंट डाइवर्ट नहीं होना
चाहिए, और इसके लिए कह दिया कि
सेप्ट्रल वाटर कमीशन और सेप्ट्रल इलेक्ट्रि-
सिटी अथॉरिटी यह मानोटर करेंगी कि
हम प्रधा प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट लगेगा,
काली भदी पावर प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट
लगेगा। हर राज्य में जो उसके पावर

या इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए।
कितने सीमेंट को आवश्यकता है इसको
मानोटरिंग हम नहीं करेंगे, सीमेंट कण्ट्रोलर
भी नहीं करेगा बल्कि टेक्नीकल लोग
करेंगे जो सेप्ट्रल वाटर कमीशन और
सी० ई० ए० में बैठे हुए हैं। उनके द्वारा
नियंत्रित होगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए
कितनी सीमेंट सिंचाई और बिजली के
लिए दिया जाना चाहिए। जो स्वयं उनकी
सरकार ने सर्वसंगत सिद्धान्त निरूपित
किए और जिनको हमने अंगीकार किया
उसके लिए हमें बधाई देने के बजाय निन्दा
करे, मुझे आश्चर्य होता है।

कहा गया कि कर्नाटक को पी० ए०
सी० की रिपोर्ट देखिए। मैं श्रीमन्,
बड़े धर्म संकट में हूँ और उस धर्म
के पारखी वह भी हैं। श्रीमन्, आज से
20—22 वर्ष पहले मैं भी अपने प्रान्त में
5 साल तक पी० ए० सी० का सदस्य रहा
हूँ और चेयरमैन भी रहा यह विनम्र
सेवक और मैं जानता हूँ कि पब्लिक अकाउण्ट्स
कमेटी की क्या मर्यादायें हैं? नेता विरोधी
दल उसका चेयरमैन होता है और यह
अपेक्षा को जाती है ...

अध्यक्ष महोदय : दूसरे पारखी
भी चेयरमैन रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : फिर
तो वह मुझ से सहमत होंगे ही। तो वह
भी स्वीकार करेंगे कि पब्लिक अकाउण्ट्स
कमेटी की रिपोर्ट के उद्धरण यहां दूँ और :
उसकी आलोचना करूँ मुझे शोभा नहीं देता :
कि उसकी रिपोर्ट की यहां पर आलोचना
करूँ, टिप्पणी करूँ, प्रशंसा करने के
योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि यह विषय केवल
राज्य विधान मंडल से सम्बन्धित है।
जैसी कि आपने रुलिंग दी है और उसके
अन्तर्गत मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं
पी० ए० सी० की रिपोर्ट पर टिप्पणी
करूँ, और अब पी० ए० सी० की रिपोर्ट

पर 14 घण्टे राज्य क्री विधान सभा और विधान परिषद् में विवाद हो चुका है। जितने क्लोटेशन्स दिये हैं उससे बहुत अधिक 14 घण्टे में कितने क्लोटेशन्स दिये गये हैं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का कोई क्लोटेशन नहीं दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी : डायरेक्टोरेट का क्लोटेशन दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डायरेक्टोरेट अलग चीज है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, डायरेक्टोरेट की क्लोटेशन भी यह अन्तरंग नोटिंग है। इसे अधूरा पढ़ना उचित नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके अंतरंग का हमको पता है।

अध्यक्ष महोदय : राजनीतिज्ञों की अन्तरात्मा कुछ एक जैसी ही चलती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : अंतरंग के अन्तरतर तक आपको अन्तर्दृष्टि तो पहुंच गई लेकिन आप अन्तर्यामी नहीं हैं।

तो जी नोट उन्होंने पढ़ा उसमें एक शब्द है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ, उसको जरा हल्के से उन्होंने कहा, "पौसिबिलिटीज" पर जरा सी कुछ मध्यम आवाज हो गई, उनकी आवाज मंद हो गई। मुझे लग रहा था उनकी ओजस्वी वाणी क्यों मन्द हो गई। उसका अर्थ क्या है? अर्थ का अनर्थ तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अनर्थ में अर्थ निकल जाए, अनर्थ अर्थ हो जाय, अर्थ अनर्थ बन जाय तो क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : क्या सुर में बात क्री है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : फिर उनकी वाक धारा का क्या कहना है कि गगन चुम्बी अट्टालिकायें आकाश का चुम्बन करने वाली बनाई जा रही हैं। आज श्रीमान, किस देश में, किस नगर में गगन चुम्बी अट्टालिकायें नहीं हैं? आज यह वास्तविकता है, ध्रुव सत्य है, हमारे समाज में, देश में भी कुछ नगरों में स्थिति ऐसी है। अब बम्बई जैसे नगर में अट्टालिकाएं न बनें, इसको भी कोई होता तो 77-78 में रोक देता अट्टालिकाओं का निर्माण करना, हम नहीं चाहते कि अट्टालिकाएं बनें, गरीबों की झोपड़ी व कच्चे मकान पक्के बनने चाहिए। फिर भी अट्टालिकायें बनती हैं, सारे संसार में बन रही हैं। स्थिति यह है कि भूमि कम है, आर्किटेक्ट्स ऊपर को बना रहे हैं, आकाश मुखी हो रहे हैं। वह कहते हैं कि स्पेस प्लानिंग करनी होगी, लैंड-यूज भूमि का सही इस्तेमाल करना होगा, इसलिए आकाश की तरफ जाना होगा। अब क्या किया जाये?

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, अटल जी और मंत्री जी के लिए हिन्दी से हिन्दी ट्रांसलेशन करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : गगन-चुम्बी बातें हो रही हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरा निवेदन यह है कि सीमेंट के मामले में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शब्द पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इस विषय में मैंने देखा है जो उद्योग सीमेंट को उठाते हैं, गवर्नमेंट की सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन ने सीमेंट उठाया है। यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकार के अन्तर्गत है कि वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कितनी सीमेंट दे और कितनी दूसरों को दे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जो वहाँ के मंत्री ने बयान दिया है, उसमें दो बातों पर सम्मानित विद्वान सदस्य की दृष्टि में दिलाना चाहता हूँ, उन्हें दृष्टिगत कराना चाहता हूँ —

There has been no diversion of cement meant for irrigation and power projects to non-Governmental or private purposes.

सदन में मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, बिस्कुल क्रेटोरीकील डिन्याल दिया है —

There has been no diversion of cement meant for irrigation and power projects to non-governmental or private purposes.

अब पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी सार्वभौम कमेटी है, वह बातचीत कर सकती है, उन्हें बुला सकती है। स्वयं पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी साक्ष्य के रूप में, साक्षी के रूप में विभागीय सैक्रेटरी को बुला सकती है। पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, वह जानते हैं कि राज्यों के सचिवों को वहाँ बुलाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आपकी वाग्धारा से सतीश जी प्रभावित हुए नहीं, कैसे चले गये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अगर वह केवल सतीश होते तो रुकते, पर वह चन्द्रमा भी हैं, नाम के आगे चन्द्र भी है।

इसी वक्तव्य में आगे कहा गया है। जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, ईरिगेशन के बारे में कहा गया है, उसका उल्लेख है या नहीं। इस बारे में मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वहाँ जो सम्बन्धित मंत्री हैं, उन्होंने कहा है—

"It will be noticed from the Report of the Public Accounts Committee that the Committee did not itself examine

the extent to which the Malaprabha, Ghataprabha, Upper Krishna, Hemawati and Harangi got delayed or cost got escalated on account of the alleged diversions and alleged irregularities. There are also no details of the delays in other government works referred to in fague and general terms in the Report."

मैं क्या करूँ ? मैं तो रिपोर्ट की आलोचना नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहता था लेकिन चूँकि उन्होंने उल्लेख किया सिंचाई की योजनाओं का, हमारे पास प्रश्न यह है वह कहते हैं कि रिपोर्ट में कोई विचार नहीं किया गया कोई अधिकार नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो आरोप है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आरोप है, इसका स्पष्टीकरण भी है।

पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी और सदन इसकी जांच कर सकता है कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं होना चाहिये। हम यहाँ क्या कर सकते हैं ? आप हमारी सीमाओं को जानते हैं।

जहाँ तक आन्ध्र का प्रश्न है, आन्ध्र की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के किसी सर्कुलर का उल्लेख है जो कि सम्मानित सदस्य ने किया, इससे और अधिक स्पष्ट होता है कि आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के वितरण के लिए नियम बने हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के अधिकारी को आन्ध्र प्रदेश सीमेंट कंट्रोल आर्डर के मुताबिक अधिकार हैं कि वे सीमेंट आवंटित कर सकते हैं। मेरी अब तक की जो सूचना है, उसके आधार पर, और वहाँ के सम्मानित मंत्री के वक्तव्य के आधार पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह विदेशयात्रा पर थे और उनकी अनुपस्थिति में इंडस्ट्रीज के अफसरों ने, जो अधिकृत थे, सीमेंट आवंटित किया

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह गलत है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे पास आदेश की कापी है, जिस पर मंत्री महोदय ने लिखा हुआ है : "सीन," 18-12-81 ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : 18-12-81 को शायद वह लौट कर आए थे । मैं जानना चाहता हूँ कि आवंटन कब हुआ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री की अनुमति के बिना आवंटन हुआ है—हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी : क्या माननीय सदस्य आवंटन की तारीख बताएंगे ? (व्यवधान) मैं किसी प्रकार के विवाद में काहे को उलझूँ ? मैं उलझना नहीं चाहता । जहाँ तक मेरी सूचना है, जब वहाँ के उद्योग मंत्री विदेश-यात्रा पर थे, उस समय, उनकी अनुपस्थिति में, सम्बन्धित अधिकारियों ने इसका आवंटन किया । बाद में — उनके आने के बाद— उनकी सूचना के लिए भेजा, उसपर उन्होंने "सीन" लिखा । (व्यवधान)

श्री माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस सदन की महानतम गरिमा का ध्यान हम सब को रखना है और मुझे विश्वास है कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखने में और यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को उठाने के सम्बन्ध में, जो सम्बन्धित नहीं हैं, उनका सहयोग और सहकार मिलेगा ।

मुझे आशा है कि भविष्य में इस बारे में पुनर्विचार करेंगे और जो उनकी स्वभाव-जन्य गंभीरता है, वे उसको ध्यान में रखते हुए उन्हीं प्रश्नों को उठावेंगे, जो मर्यादित हों ।

श्री जॉन्स बशर (गान्जीपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वाजपेयी, अपनी औजस्वी भाषा में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ।

15.28 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

श्री वाजपेयी को हर जगह भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आती है, हालांकि वह दुर्गन्ध कहीं है नहीं । मैं तो आपके माध्यम से श्री वाजपेयी को सलाह दूंगा कि वह अपने नाक का इलाज करवा लें । उनके नाक में कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध आती है । मैंने वह समय भी देखा है, सुना है, जब माननीय वाजपेयी जी इधर आसन पर आसीन थे और उस समय के गृह मंत्री, चौधरी साहब, के उस वक्तव्य को भी हमने पढ़ा है कि जनता पार्टी के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं और इम्पोर्टेंट हैं, नपुंसक हैं । यह बात चौधरी साहब ने खुले आम कही थी कि जनता पार्टी के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं और नपुंसक हैं । मैंने इस बात की कोई छान-बीन नहीं की*** उस समय वाजपेयी जी ने भ्रष्टाचार के वातावरण को अपने चारों तरफ देखा या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उस समय भी राज्य सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गये थे । स्वयं उनकी पार्टी के एक मुख्य मंत्री, जो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन पर लाखों रुपया दूसरे देश में जाकर जमा करने का आरोप लगाया गया था । मैं वाजपेयी जी को उस समय सही समझता

***Expunged as ordered by the Chair.

[श्री जैनुल बशर]

अगर वे उस मुख्य मंत्री के खिलाफ जांच करवा लेते। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के सिविल सप्लाइज मिनिस्टर के खिलाफ काफी आरोप लगाये गये थे,—उत्तर प्रदेश विधान मंडल दल में और उत्तर प्रदेश विधान सभा में स्वयं जनता पार्टी के मेम्बरों ने आरोप लगाये थे...। (व्यवधान)

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly):
I am on a point of order.

MR. DEPUTY SPEAKER: Please
come to the subject.

PROF. RUP CHAND PAL: Are you
going to expunge whatever indecent
utterances he has made?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you
want, I will go through the record. I
have told him to come to the subject.

SHRI ZAINUL BASHER: I am not
yielding here. He has no right to ask
any question.

उस समय उन्होंने कोई जांच पड़ताल
क्यों नहीं कराई ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सीमेंट का
मामला है, जो सीमेंट राज्य सरकारों को
दी गई उसके लिये कुछ गाइड लाइंस निर्धारित
हुई और राज्य सरकारों ने उन गाइड
लाइंस के अनुसार सीमेंट का वितरण किया
या नहीं—यही मुख्य सवाल है। जहां तक
मेरी तुच्छ जानकारी है मैं कोई ज्यादा
अकलमन्द नहीं हूँ, मंत्री जी से भी बहुत
कम बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ
कि गाइड लाइंस केवल एक सलाह की हैसियत
रखती है। गाइड-लाइंस कोई आदेश नहीं
है, कोई कानून या रूल्स नहीं हैं जिनका
पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो।

लेकिन यह सलाह की हैसियत अवश्य रखती
है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, यहाँ
पर गाइड-लाइंस का कोई उल्लंघन नहीं
किया गया है लेकिन मान लीजिये कोई
ऐसी आफत आ जाय, किसी राज्य में कोई
विशेष प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए
जिससे निपटने के लिये अगर उन
गाइड-लाइंस के विपरीत सीमेंट या कोई
दूसरी चीज आवंटित कर दी जाय तो उसमें
दोष क्या है ? वाजपेयी जी गगनचुम्बी
इमारतों की बात कर रहे थे कि बड़े बड़े
ठेकेदार उनका निर्माण कर रहे हैं और
उनको लाभ पहुंचाने के लिये यह काम किया
गया है। उनकी नजर बड़े बड़े ठेकेदारों
पर तो पहुंच गई क्योंकि उनकी उन ठेकेदारों
से बड़ी पुरानी दोस्ती है लेकिन इस उद्योग
में जो लाखों मजदूर लगे हुये हैं, राजगीर
लगे हुये हैं वहाँ तक उनकी नजर नही गई।
अगर यह कांस्ट्रक्शन का पूरा काम बन्द
हो जाय, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास, कर्नाटक,
दिल्ली और दम्बई में, तो इस कांस्ट्रक्शन
के काम में लगे हुये करोड़ों मजदूरों की
स्थिति क्या होगी ? वे अपनी रोजी रोटी
कहाँ से लायेंगे। इसलिये सीमेंट आवंटित
करने में—चाहे केन्द्रीय सरकार हो या
प्रदेशीय सरकारें हों, उन्हें इस बात का तो
ख्याल रखना ही पड़ेगा कि जिस उद्योग
पर लाखों की संख्या में काम करने वालों
की रोजी रोटी निर्भर करती है, वह बन्द
न होने पाय। यदि इस प्रकार की बातों
पर भी आक्षेप किया जायेगा तो इस
देश का शासन कैसे चलेगा ?
यह फैसले कैसे होंगे, किसी काम के लिए
निर्णय कैसे होगा। मैं वाजपेयी जी से
पूछना चाहता हूँ कि जगह-जगह आप
भ्रष्टाचार की बातें करके या जहाँ राजनीतिक
नेतृत्व देश में है, चाहे वह आपका हो या
हमारा हो—उस पर से विश्वास कम नहीं
कर रहे हैं ? इतना लम्बा और शब्दों से
भरा हुआ लच्छेदार भाषण उन्होंने यहाँ
पर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि

क्या आपने शंका व्यक्त करने के अलावा कोई सबूत भी दिया ? ठोस सबूत आपने दिया कि सीमेंट के आबंटन में इतना भ्रष्टाचार किया गया है या इन्होंने इनसे इतना रुपया लिया है या इन्होंने इन को गलत तरीके से मदद पहुंचाई है और उसका यह साक्ष्य है या सबूत है । सिर्फ शंका और श्रुतवा पर बात करना वाजपेयी जी जैसे बड़े और महान नेता के लिए शोभा नहीं देता है । मैं कह सकता हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन वाजपेयी जी जैसे महान नेता के लिए बात करना शोभा नहीं देता है । जगह-जगह यह बात कहते रहें कि इस मंत्री ने इस आदमी को सीमेंट देने के बजाय इस आदमी को दिया, इसलिए वह भ्रष्ट है । इस मंत्री जी ने यहां कोई चीज देने के बजाय वहां दे दी, इसलिए भ्रष्ट है । उपाध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना चल रही थी । कौन नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल को इस सरकार के विरुद्ध ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस सरकार को गाइड-लाइन्स के विरुद्ध काम किया, लेकिन क्या हमारे कृषि मंत्री जो ने

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not go to that. Be in Delhi.

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki): Is he raising any question?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Put your question.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAJEE: He is putting questions to me!

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not think you will get any reply from what all you spoke just now.

श्री जॉन्स बशर : क्या कृषि मंत्री जी ने पश्चिम बंगाल को समर्थन नहीं दिया था । जिस प्रकार की बात यहां उद्योग मंत्री जी कह रहे हैं, उसी प्रकार की बात

कृषि मंत्री जी ने यहां पर कही थी । इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा कि राजनीतिक लोगों से जनता का विश्वास कम होता जाएगा । जब हमारे वाजपेयी जी जैसे महान नेता भ्रष्टाचार की दुर्गन्ध सूंघेंगे, तो आम जनता का क्या होगा । यह राजनीतिक नेतृत्व का सवाल है । आज हम इधर बैठे हैं, वाजपेयी जी यहां बैठे थे, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वे फिर यहां पर बैठ सकते हैं या नहीं, लेकिन बार-बार भ्रष्टाचार . . .

I think he should not sit here.

अगर वे यहां पर बैठ गए तो वे क्या इस बात को पसंद करेंगे कि कुछ सीमेंट यहां देने के बजाय वहां दे दिया गया और भ्रष्टाचार हो गया । राजनीतिक मामले अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो एक इन्स्टीचूशन है, इसमें हर समय बात की खाल निकालना मेरी समझ में राष्ट्र हित में नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट के मामले में परेशानी कैसे पैदा हो गई, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । मेरे ख्याल में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, जो इस बात का देख सके कि जो केन्द्र सरकार को गाइड-लाइन्स है, उस गाइडलाइन्स के मुताबिक राज्यों में सीमेंट का वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ? साथ ही साथ वह मशीनरी यह भी देख सके और इसका भी फैसला कर सके कि अगर कोई राज्य सरकार की तुरन्त ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि किसी मद की सीमेंट को किसी दूसरे मद में देना हो, तो उसका यह तुरन्त अधिकार हो, वह देख सके और छानबीन कर सके, यदि कोई गाइड-लाइन होती तो मैं समझता हूँ कि यह सारी परेशानी पैदा नहीं होती मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा— क्या कोई ऐसी मशीनरी वे बनाने जा रहे

[श्री: जैनुल वशर]

हैं या नहीं जा रहे हैं ? अगर कोई ऐसी मशीनरी बन जाय तो; इस से फायदा होगा ।

यह जो सीमेंट की दोहरी-बिक्री की नीति बनाई गई है यह कुछ अनुभव के बाद बनाई गई है । अनुभव यह था कि सीमेंट हमारे पास कम थी और सीमेंट का हर सैक्टर में बांटना था । गवर्नमेंट बक्स के लिए भी देना था, हाउसिंग के लिए देना था, स्कूलों के लिए देना था, अस्पतालों के लिए देना था । यह ठीक है कि उस में सरकारों ने गाइड-लाइन्स बनाई कि इस काम के लिए सैण्ट्रल कोटे की सीमेंट दे सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए क्या होगा ? वे भी जरूरी हैं—लोगों के मकान बनने जरूरी हैं, अस्पताल बनना जरूरी है, स्कूल बनना भी जरूरी है, और सब से बढ़ कर मकान की मरम्मत होना जरूरी है । इस लिए उन्होंने अब जो सीमेंट की दोहरी नीति बनाई है—उस के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ । उस में आप गरीब लोगों के लिए, गांवों के लोगों के छोटे-छोटे मकान बनाने के लिए, खास कर जो रूरल पापुलेशन है उस के लिए आप सीमेंट को व्यवस्था कैसे कर रहे हैं ? उन के लिए परमित देने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं ? किसान को आमद नबत सीमित है और हमारी आवादी का बहुत बड़ा हिस्सा किसान हैं जो गांवों में रहते हैं, वे भी पक्के मकान बनाना चाहते हैं । कच्चे मकान आधे-दिन वारिश और तूफान में गिर जाया करते हैं, जब उन के पास कुछ आमदनी होगी तो वे पक्के मकान बनाना चाहेंगे, उस को बनाने के लिए आप क्या राहत दे रहे हैं ।

बहुत से छोट-मोटे, गांवों में, उद्योग लगे हुए हैं जो सीमेंट पर आधारित हैं। वे सीमेंट के छोटे-छोटे सामान बनाते हैं, जो मकानों में लगाये जाते हैं, जैसे खिड़कियां बनाते हैं, जालियां बनाते हैं, अन्य बहुत सारे सामान बनाते हैं, प्रीफैबरी-केटेड मँटीरियल बनाते हैं जिनके जरिए गांवों में सस्ते मकान बनाये जाते हैं जो हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी है । मुझे कई जगहों से—हैदराबाद से, मेरे अपनी वाराणसी से, मद्रास से, दिल्ली से, अन्य कई जगहों से छोटे-छोटे सीमेण्ट पर आधारित उद्योग-धन्धों की एसोसिएशन्स की तरफ से पत्रक आये हुए हैं कि इस से हमारा धन्धा बन्द हो जायगा, हमारा काम बन्द हो जायगा, क्योंकि उन को सीमेंट महंगा पड़ेगा और वे सस्ते मकानों के लिए कम दामों पर उन चीजों को नहीं दे सकेंगे जिस का प्रभाव देश के हरिजनों और बीकर सैक्शन पर पड़ेगा । इसलिए उन को भी लेवी की सीमेंट दी जाय ताकि वे भी अपने उद्योग को चालू रख सकें और सस्ते मकान बन सकें । मैं जानना चाहता हूँ कि इस के लिए मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

आखरी सवाल यह पूछना चाहता हूँ—आज जो यह मामला उठा हुआ है कि गाइड-लाइन्स को तोड़ कर सीमेण्ट दिया गया, गाइड लाइन्स का तोड़ कर यहां सीमेंट दिया गया, वहां सीमेंट दिया गया, इसके बारे में क्या वाकई कोई तथ्य है ? अगर कहीं गाइड-लाइन टूटी है तो; क्या राज्य सरकार ने उस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिया है कि उन्होंने गाइड-लाइन्स का थोड़ा-बहुत उलंघन क्यों किया ? क्या कारण था, कौन सी मुसीबत या विपत्ति थी जिस के कारण उन्होंने गाइड-लाइन से हट कर थोड़ा बहुत सीमेंट उधर या उधर दे

दिया ? क्या इस के बारे में भी मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने चार प्रश्न पूछे हैं। पहला—जो लोग निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, जो मजदूर निर्माण कार्यों में काम कर रहे हैं, वे सीमेंट को उपलब्ध न होने से बेकार न हो जाय—इस खतरे को और ध्यान आकर्षित किया है। जं: बिजली और सिंचाई के निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं उन के लिए तं: सीमेंट का प्रायर-रिजर्वेशन पहले से ही रिजर्वेशन है। जं: दूसरे निर्माड कार्य हैं उन के लिए राज्य सरकारों को छूट है वे अपनी आन्तरिक प्राथमिकता के अन्तर्गत विविध निर्माण कार्यों के लिए कितना देना चाहते हैं, किस प्राथमिकता के आधार पर देना चाहते हैं— यह उन पर निर्भर करता है जिस का मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं।

जहां तक मशीनरी का सवाल है कि राज्यों में मशीनरी नहीं है, यह मशीनरी मौजूद है—उनके सिविल सप्लायज विभाग को मशीनरी है। और सीमेंट कंट्रोलर को मशीनरी है। दो मशीनरीज हैं। एक तो आवंटन करने वाली है और राज्य सरकार भी जं: बल्क एलोटमेंट करता है, वह भी सीमेंट कंट्रोलर के पास आता है, जा रीजनल सीमेंट कंट्रोलर हैं, उन के यहां से फैक्टरीज को आदेश जाते हैं कि फला फलां क्रं:, जिन क्रं: राज्य सरकार कहती है, सीमेंट भेज दिया जाए। तं: दं: मशीनरीज हैं और मुख्यतया जो वितरण को मशीनरी है, यह राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। अगर किसी राज्य के मशीनरी क्रं: कोई शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता ही, तं: उस के बारे में राज्य सरकार विचार कर सकती है।

श्री जं: नुल बशर : मंत्री जी ने मेरी बात को समझा नहीं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या आप के पास केन्द्र में कोई ऐसी मशीनरी है जो यह देखती रहे कि गाईड-लाइन्स के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं और अगर परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो वह उस को करे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय गाईड-लाइन्स ये हैं कि बिजली और सिंचाई के लिए बिल्कुल प्राथमिकता है और सीमेंट का रिजर्वेशन है। इस के लिए सेण्ट्रल वाटर कमीशन और सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आ ोरेटो की मशीनरी है, जो यह देखती है कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितने सीमेंट की आवश्यकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He wanted to know whether you scrutinise the guidelines given to the States. Is there a machinery?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: The Central Water Commission and the Central Electricity Authority are the expert bodies, who enforce these guidelines, and they monitor the requirement of cement in various projects.

जहां तक गरीब लोगों के लिए परमिट वगैरह देने की बात है, मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि जिन तत्वों को मिलना चाहिए, उसके लिए हमने 80 स्क्वेयर मीटर का प्लिथ एरिया रखा है। इस का अर्थ यह है कि 80 स्क्वेयर मीटर तक या कम प्लिथ एरिया वाले मकानवालों को हम लेवी का सीमेंट देंगे और उसके ऊपर वालों को नहीं देंगे। यह एक बात की गई है और इसलिये की गई है ताकि किसानों को और गरीबों को यह सीमेंट मिल सके और अगर सीमेंट का उत्पादन बढ़ेगा जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि हम चाहते हैं कि देश के अन्दर सीमेंट के उत्पादन की क्षमता दुगुनी हो जाये,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो उसके आधार पर सीमेंट का ज्यादा बटवारा होगा। अगर देहातों में सेल डिपो खुले होंगे, तो एक तरफ तो फ्री सेल का सीमेंट होगा और दूसरी तरफ लेवी का सीमेंट लोगों के लिये उपलब्ध होगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is the only solution to avoid all these things—produce more. Nobody has put any question about increased production of cement. That will and all the trouble.

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक छोटे उद्योग-धंधों की बात है जाली बनाने वालों की बात है, मैंने पहले भी कहा है और पुनः दोहराना चाहता हूँ कि मैं सम्मानित सदस्य का आभारी हूँगा कि यदि इस संबंध में उन्हें कोई प्रार्थना-पत्र मिले, आवेदन - पत्र मिले, तो अगर वे मुझे अग्रसारित कर सकें, मुझे भेज सकें, तो बड़ी कृपा होगी और उन पर, अवश्य ही सहानुभूति से विचार करूँगा। छोटे उद्योग-धंधे जो सीमेंट पर आधारित हैं, उनके लिये क्या किया जाय ? क्योंकि बड़े उद्योग-धंधे में और छोटे-उद्योग - धंधे में शायद कोई भेद करना पड़े, लेकिन जहां तक गाइडलाइन्स के उल्लंघन की बात है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सिंचाई के क्षेत्र से बिजली के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में में यह गया है, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है और सीमेंट कंट्रोलर सीमेंट इशू नहीं करेंगे फ़ैक्ट्री के लिये और वे प्रोजेक्ट्स के लिये ही सीमेंट इशू करते हैं सीधे। इरीगेशन और पावर सेक्टर में से डाइवर्शन होगा, ऐसी बात नहीं है और स्माल स्केल सेक्टर में जो पहले रिजर्वेशन था, अब तो रिजर्वेशन भी नहीं है और जो नई गाइडलाइन्स हैं, उनके आधार पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अलग-अलग कार्य-वाही करनी है।

13.48 hrs.

STATEMENT RE. DE-REGULATION OF STEEL PRICES

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TWARI): There is no statutory control on steel prices; but in practice, prices of steel produced by the integrated steel plants have been regulated by Government. In February 1981, the main producers were allowed to fix prices of bars, rods and semis. Prices of pig iron and categories of steel such as coils, sheets, plates, structurals and railway materials, etc. continued to be determined by Government prior to their announcement by the Joint Plant Committee (JPC).

2. After a careful review of the situation, the Government has decided to discontinue the regime of administered prices with immediate effect. Henceforth, prices of pig iron and all categories of steel will be determined by the Joint Plant Committee, and the requirement of prior Governmental approval will be given up. The Government will keep a watchful eye on the prices that are fixed by the JPC. The Iron & Steel Controller, as the Chairman of the Joint Plant Committee, will monitor the pricing structure. The prices will be determined having due regard to overall interests of the national economy. Steps will be taken to maintain a situation of easy availability of all iron and steel items, and care will be taken that price increases, wherever inevitable, are kept within reasonable limits.

3 This step will bring about greater realism in the pricing of iron and steel items; mop up the market premia which is a feature of administered pricing regime, and increase the generation of internal resources of the industry. Whatever additional resources become available, will be duly channelled into the Steel Development Fund and used for modernisation and expansion of steel industry.